The Committee also recommended that the House may sit beyond 6.00 p.m. to transact the Business before it.

(Ends)

THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL, 2024

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024; Shri Bhupender Yadav to move the motion for consideration of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT (SHRI BHUPENDER YADAV): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, be taken into consideration."

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप बोलना चाहेंगे?

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, today, I have appeared before this House with an important amendment. Sir, I wish to move for the consideration of this House, a Bill, which proposes some significant changes in the Water

Act, 1974, which will not only give impetus to industries but will also make progress towards environmental protection.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair)*

Mr. Chairman, Sir, in the beginning, I want to highlight only three important aspects of the Bill. Firstly, the present Bill intends to streamline the appointment of key officials of the State Board. Through this Amendment, Section 4 of the Water Act is proposed to be amended to streamline and uniform the qualification and the manner of appointment of Chairperson of the State Pollution Control Board. The Amendment will provide for certain mandatory qualification, experience and procedure to ensure fair and transparent appointment of the Chairperson.

The second major Amendment is to decriminalise the penal provisions. All penal provisions have been freed from imprisonment and will be replaced by the penalty except for violation under section 25 and 26. Violation relating to sections 41 to 45A, 47 and 48 are proposed to be dealt with by imposing financial penalty instead of prosecution in the court.

As we know, earlier, this House passed the Jan Vishwas Bill. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 has already been amended through the Jan Vishwas Bill, 2023, which contained provisions similar to the

proposed Bill. Amendment to the Water Act is also necessary to make it in line with the amendment made in the Air Act as both the laws contain similar provisions.

Sir, water being a State Subject, under Article 252 of the Constitution, it was not considered under the Jan Vishwas Bill, 2023. The present proposal to amend the Water Act requires the Resolution by two States, which is attached with this Bill. There is another important aspect of the Bill that the present Bill streamlines the consent to establish and operate mechanism. The Central Government shall be empowered to issue notification exempting certain categories of industries from the requirement of obtaining prior consent before the establishment of any industrial unit. This will reduce the duplication of surveillance and it will also reduce the unnecessary burden on regulatory agencies.

With this Bill, the Central Government shall be authorised to prescribe guidelines on the matters relating to grant, refusal or cancellation of consent by a State Board to establish or operate any industrial plant. This will universalise the procedure and fulfil the long-standing demand of industries with all-India presence. The present Bill also protects the environmental concerns and paves the way for the Ease of Doing Business.

Hon. Chairman, Sir, I seek the support of all the Members of the House for passing this Bill. Now, I think, hon. Members will give their views and suggestions. If there is any clarification required, I will give the same in the end during my reply. Thank you.

(Ends)

The question was proposed.

(Followed by SK/3G)

SK-MZ/3.30/3G

MR. CHAIRMAN: Motion is moved. I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Laxmikant Bajpayee. You have ten minutes.

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय सभापति महोदय, आज आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की सबसे खास बात यह है कि जहां यह जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 है, यह पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करेगा और उद्यमी को भी संरक्षण प्रदान करेगा। महोदय, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिफाइन किया गया है और जो उद्योगपतियों को सज़ा का डर रहता था, जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देकर जुर्माने का प्रावधान किया है। फिर वह जुर्माना राशि भी पर्यावरण संरक्षण कोष में रखी जाएगी, यानी घूम कर वापस

वह पर्यावरण के संरक्षण में उपयोग में आएगी। औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना संचालन हेतु जो अनुमति मिलने में प्रक्रियात्मक विलंब होता था, उस विलंब की प्रक्रिया को आसान करने का काम इस संशोधन विधेयक के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा सामान्य सी गलती हो जाने पर उद्यमी और व्यापारी को जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देने का काम भी किया गया है और व्यापार तथा उद्योग को लोग सुगमता से कर सकें, इस तरफ भी बिल के माध्यम से प्रयास किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर अथवा उल्लंघन करने पर 41, 42, 43, 44, 45, 45ए, 47, 48 व धारा 25, 26 के उल्लंघन का जुर्माना और अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी अन्य प्रावधानों में कारावास से, दंड से मुक्ति देने का काम इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा किया जा रहा है। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में जनविश्वास अधिनियम आने के बाद आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई थीं। उन्हीं व्यवस्थाओं को, क्योंकि जल का विषय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आता है, उन्हीं व्यवस्थाओं को करने के लिए दो से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करके इस विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया गया है। कुछ औद्योगिक ईकाइयों को केंद्र सरकार को छूट देने का भी हक होगा। जो हरित उद्योग होंगे, गैर-प्रदूषणकारी उद्योग होंगे, उन उद्योगों की सूची बनाकर सरकार उनको सामान्य औपचारिकताओं के बाद अनुमति दे देगी, लेकिन जो लम्बी औपचारिकता प्रदूषण नियंत्रण विभाग की होती थी, उससे मुक्ति देने का काम सरकार इस विधेयक के माध्यम से करेगी। उद्यमियों की चिरपरिचित एक मांग है कि उनको

उद्योग लगाने में विभिन्न प्रकार के झंझटों से मुक्ति मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, उनका उत्पीड़न न हो। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सरकार ने पुराने कानूनों को खत्म करके नए कानून को लाकर दंड के बजाय न्याय देने की बात कही है, मैं समझता हूं कि यह कदम उस तरफ बढ़ा हुआ कदम है, जिसके अधीन देश की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने वाले उद्यमी और व्यापारी निर्भय होकर अपना व्यापार और उद्योग लगा सकेंगे और उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, ऐसा मैं इस विधेयक का उद्देश्य मानता हूं। महोदय, निगरानी का और इंस्पेक्टर राज, जिसकी मैंने बार-बार चर्चा की है, उसका दोहरा भय भी व्यापारियों और उद्योगपतियों के मन से खत्म होगा और नियामक एजेंसी, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वह भी बोझरहित होगी तथा जो उसका अपना काम है, वह उसको कर सकेगी। मैंने जुर्माना राशि की बात तो कर दी है, मैं इस विधेयक के माध्यम से इतनी बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है, इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का सरकार का जो सिद्धांत है, उस दिशा में भी यह एक प्रयास है। महोदय, जो सहमति तंत्र है, consent and establishment operate the mechanism, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणी के उद्योगों को छूट देने पर विचार कर रही है।

(3H/DN पर जारी)

DN-YSR/3.35/3H

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (क्रमागत) : इसकी निगरानी के लिए केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य या बोर्ड द्वारा सहमति देने, इंकार करने या रद्द करने संबंधी मामले पर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी। इन प्रक्रियाओं को सार्वभौमिक बनाने की बात है और मैं यह कहूं कि उद्योगपतियों की सबसे पुरानी मांग कि वे निष्कंटक होकर अपना व्यापार, उद्योग कर सकें, उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा लाया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और पूरे सदन से इस विधेयक को पास करने की अपील करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Shri Jawhar Sircar. Six minutes.

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, thank you for giving me the opportunity to oppose the Bill.

MR. CHAIRMAN: I have not given you the opportunity to oppose the Bill. This is your discretion.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, you have permitted me to have my say.

MR. CHAIRMAN: To oppose or not to oppose is your discretion.

SHRI JAWHAR SIRCAR: I would submit to you, Sir, first and foremost as a citizen of India, see the devastation that environment laws have failed to control. You have air pollution, water pollution, environment sensitive zone, wildlife, Forest Act, etc. Each one remains a devastated pillar of failure. This one is just one more addition. We have seen Governments for the last seventy years-plus. But we have not seen such a determined Government, a Government so determined to use the legitimacy of law, of structure to destroy the heart and core of it. This one is just an act that brings in something to legitimise offences. You have mining, effluents, CO_2, etc. They are full of exemptions. There are 200-plus State and Central laws which have control but it was ultimately people and crusaders like M.C. Mehta who had to come before the Supreme Court to make them effective.

The specific reason for objecting to this Bill is, as my hon. friend has mentioned, छुटकारा दो, exempt करो, भय खत्म करो - भय किससे है? The offender has to get scared in a State. A State cannot run, a Government cannot run on love and fresh air. Where there is a question of offending against human society, polluting the atmosphere, polluting water and destroying forests, the offender must have a sense of fear because he is offending against nature, against humanity. This Government cannot go on

exempting offenders and granting them reprieves. This Bill is full of them. This Bill again goes in for centralization of powers. There is Section 21 in the mother Act which says that the State Government and the State Boards may take power. Here, there is an attempt to centralize everything by bringing all the powers to Section 25, Section 26 and Section 27. Section 25 is to stop effluents from spoiling the Ganga, the Yamuna and other water bodies. Section 26 is for those who have already got exemption like the Kanpur tanneries and others too go in for certain effluent discharge. All the sections are being diluted. There have been more exemptions under the environment sensitive zones than punishments. The mood of the Government is very clear. They have brought in a term called 'Adjudicating Officer'. That could be a Central Officer or a State Officer. Incidentally, all the directions in a federal polity are to be consultative. But here there are absolute unilateral powers with the Central Government to determine whether a State Officer can be an Adjudicating Officer. आप कौन है मुझे बताने वाले कि मेरी स्टेट में किसको पावर दी जाए? This one is actually an anti-federal law. Clause 45C of the present Bill says that any act by an Adjudicating Officer, any decision by an Adjudicating Officer can be appealed against straight to the National Green Tribunal. Sir, between a town that has an

effluent problem and the National Green Tribunal, there is a State. I have no objection if it goes to the NGT. The only question is of expenses. The poor man, who fights against industrialists, who is out there to destroy mining, to destroy those industries that discharge effluent and make the holy Yamuna look ugly, full of chemical foam..

(Contd. by 3J/GS)

VKK-GS/3J/3.40

श्री जवाहर सरकार (क्रमागत) : वे भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास पैसे हैं, वे ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाकर जीत जाएंगे। जो उनके खिलाफ बात करते हैं, वे एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। Why are you bringing a section which says straight from Panchayat, you go to the National Green Tribunal? बीच में किसी को रखिए ताकि we can go to the State headquarters and file cases. What are the punishments? There are punishments -- two-and-a-half years to seven years. But they have been made very small and very inconspicuous. And as my learned friend said, the entire intention is to make it punishment-*mukt* law. Without some amount of stringent fear, you cannot tackle a subject like environment. We are going and making false promises -- I am using the words 'false promises'-- to the COP that we will bring in renewable energy. My good friend, the Power Minister, is sitting

here. It is said that we will bring renewable energy to the extent of 50 per cent by 2030. (*Time-bell rings.*) I am sure that the capacity for renewable energy will reach somewhere near 50 per cent but the catch lies not in capacity; the catch lies in generation. We can say with authority that India cannot have more than 30-31 per cent power from renewable energy sources. (*Time-bell rings.*) So, why do we make international promises when you know that 2030, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, जिसकी तरफ हम सोच रहे हैं, 2030 में भी हमारे यहां 70 per cent of the energy will be drawn by carbon emitting thermal fuels? The spirit of this Act is in that direction and I seek your indulgence to oppose it in no uncertain terms. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Dr. Ashok Kumar Mittal; not present. Shrimati Sulata Deo; you have five minutes.

SHRIMATI SULATA DEO (**Odisha**): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024. सर, मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से इस बिल को सपोर्ट करती हूं। इसके संबंध में बिल 1974 में बना था और इतने सालों के बाद इसमें अमेंडमेंट करने के लिए यह बिल आया है, क्योंकि हमारा सिविलाइज़ेशन भी बढ़ रहा है, इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है जिससे कि हम

लोग वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को चैक कर सकें। इसके लिए चेंज होकर बिल का आना भी जरूरी था। अभी बताया गया है कि इस बिल के माध्यम से जेल जाने की सजा को हटा दिया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। देखा जाए, तो रेपिडली क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। इसके कारण जो चेंजिज़ हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से ह्यूमेन फ्रेंडली बना सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगी कि माइक्रो प्लास्टिक का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस बात को साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। इसको किस तरह से रोका जाए, यह भी बहुत जरूरी है और ये इसमें आने चाहिए।

इसके अलावा अदर इश्यूज़ हैं, जैसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन की बात बोल रहे हैं, जो खुली नदियां हैं, जो खुले नाले हैं – अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हीट जेनरेट हो रही है, इसके कारण बहुत से जल जीवों की डैथ हो रही है और इस कारण से भी बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नियम बनाए गए हैं, इनकी मॉनीटरिंग कैसे की जाए। मैं चाहती हूं कि इसके लिए अच्छे से अच्छा प्रावधान होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि जो स्पॉटलाइट एरियाज़ हैं, उनको आईडेंटिफाई करना चाहिए। जो अरबन लोकल बॉडीज़ हैं, वहां पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं।

(एलपी/3के पर जारी)

BHS-LP/3K/3.45

श्रीमती सुलता देव (क्रमागत) : यह हर राज्य में है, मेरे राज्य में भी है, सब राज्यों में जब नल खोलें, तो अच्छा पानी पीने के लिए मिले। अगर 10 साल के चलते देखेंगे, तो जब सभी जगह पर पीने का पानी अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो ground water है और जहाँ से पीने का पानी आ रहा है, हम उसे कैसे ठीक तरह से रखें, उसकी देखभाल करें, उसका pollution न हो, जिससे कि जो पीने का पानी है, वह अच्छी तरह से मिले - हम इसके लिए सोच रहे हैं। हमारा यह सजेशन है कि इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। इसमें कुछ सिटीजन्स का, यहाँ के कुछ लोगों का भी एक टीम वर्क होना चाहिए कि किस तरह से इस पर काम करें।

महोदय, एक बात और है कि 'Ease of Doing Business' के कारण इंडस्ट्री के लिए जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं - क्योंकि हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, इसलिए industry भी रहनी चाहिए, मगर यह भी देखा जाए कि industries में पानी का जो utilization हो रहा है, उसके लिए एक ऐसा mechanism बनना चाहिए कि जो लोग industry का पानी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कितने पानी की जरूरत है और वे कितने ज्यादा पानी की pumping और wastage of water कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि air pollution को कम करने के लिए हम लोगों के पास इतने संसाधन हैं। इसको रोकने के लिए हम industries पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी monitoring भी करें। जो जल वे ले रहे हैं, कैसे भी करके उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उसको देखा जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि उनके ऊपर कोई fine लगाया जाए,

सजा का कोई और अरेंजमेंट किया जाए, मगर यह जरूर होना चाहिए। ..(**समय की घंटी**)..सर, एक मिनट, मैं खत्म कर रही हूं। यह जरूर होना चाहिए कि हम लोग उसकी कैसे मॉनिटरिंग करें, so that wastage of water न हो और हमारे पास water रहे। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रही हूं, बस मुझे इतना ही बोलना था. Thank you so much, Sir.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Shri Subhas Chandra Bose Pilli, five minutes.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. One of the main objectives of this Bill is to establish a balance between the severity of the offence and high gravity of the punishment under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. For this, the Bill proposes to decriminalize certain criminal provisions so that citizens and businesses can operate without fear of imprisonment for minor, technical or procedural defaults. This Bill is with the spirit of 'Ease of Living' and 'Ease of Doing Business'. Hence, on behalf of our Y.S.R. Congress Party, we welcome this Bill. However, I wish to bring the following issues to light:

The first is reducing industrial water pollution. More than six per cent of India's operational industries currently do not comply with one or the

other environmental standards, risking air, water and soils due to emissions and discharge of effluents carrying various pollutants. The Central Pollution Control Board had imposed over Rs.13.4 crore of environmental compensation on 34 polluting chemical/fertilizers and cement industries and collected over Rs.12.3 crore from them during 2018-22. Even though the contamination of water has continued, I urge the Government to ensure that the lack of criminal penalties does not lead to further damage to the environment.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK) *in the Chair*.]

The principle of "polluter pays" should not become "pay to pollute". Repeat offenders should not only be fined but warned of suspension.

Madam, 70 per cent of surface water in India is estimated to be unfit for consumption due to the discharge of untreated industrial effluents into water bodies.

(Contd. by RL/3L)

RL-RK/3.50/3L

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Contd.): Nearly, four crore Indians suffer from water-borne diseases like typhoid, cholera, and hepatitis, leading to nearly four lakh fatalities each year. I suggest that the penalty to

be collected under this Bill and deposited into the Environmental Protection Fund should be used for de-polluting water bodies and tackling the diseases resulting from water pollution. In middle-income countries like India, water pollution can account for the loss of up to half of GDP growth. Water pollution costs the Indian Government around US$ 7.7 billion a year and is associated with a 9 per cent drop in agricultural revenues and 16 per decrease in downstream agricultural yields. I urge the Government to ensure that these losses on account of water pollution are reduced. For this, the Government should implement a national programme along the lines of National Clean Air Programme (NCAP) specifically aimed at curbing water pollution in major cities.

With these suggestions, I support the Bill.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Now, Dr. V. Sivadasan. You have two minutes.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Madam, the increase in pollution is a very important thing which we will address. Here, we should discuss this issue very seriously. I think, after 2014, the pollution is increasing everywhere and in water also. The *Namami* Gange Programme and I think, everybody heard

about the *Namami* Gange Programme. Here, the Minister has given a reply to me; after 2004, in the Ganga, the holy river, the pollution is increasing. There, after 2017, the faecal coliform bacteria level in Champanagar in 2017, it is 21,000 MPN/100 ml. But, in 2021, it is 31,500 MPN/100 ml. They have spent about Rs. 12,000 crores for the Cleaning Mission of Ganga River. But, the Ganga River also is suffering now because of pollution. Why? The Government should reply to it. They are spending crores of rupees but the result is not there. Then, where this money has gone, it should be enquired. I do not know whether corruption is there or not but, seriously, it should be discussed. Then, secondly, Madam, proper cleaning of water is very important. Thousands of people in India are not getting the drinking water. That is a reality. Why is it happening? People are not getting the drinking water because of the policy of the Government. The Government is not ready to ensure the availability of drinking water to everybody. They are reducing the investment in the public water distribution system. The Government should invest proper amount for the arrangement of the drinking water facility. Here, this Government has proposed a Bill. Basically, this Bill is an attack on the federal structure of the water management. For the water management, monitoring at the local level and

at the State level is very important. In Kerala, the Government has started a mission in the name of Haritha Keralam. There, they find out the sources of water and they are trying to protect the water source. So, this is very important. I think, the Kerala Model is one of the best models of the nation. The Government should study the importance of the model and try to promote these kinds of models in our nation.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Now, Dr. M. Thambidurai. You have two minutes.

DR. M. THAMBIDURAI: Madam, I am going to speak on an important issue, give me some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Please.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Madam, I rise to participate in the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

(Contd. by DC/3M)

DC-PRB/3M/3.55

DR. M. THAMBIDURAI (Contd.): Already the Minister has spoken very well regarding the objectives, Section 25 and Section 26, the purpose for which he has brought this Bill. In this connection, I would like to place certain

points. We know that the industrial activities have contributed to water contamination in India. Discharge of untreated and inadequately treated industrial effluents in the water bodies lead to the contamination of surface and ground water sources. For example, we, in Tamil Nadu, are facing it. The river Pennaiyar is there. Kelavarapalli dam is constructed near Hosur area in Tamil Nadu. The water from Bengaluru, which is coming from that dam to South Pennaiyar, is all contaminated water, having sewage water and industrial pollutants. They are sending everything. We are facing a lot of problems. The Minister has to take care as to how to solve that problem. How can we drink that kind of water? That is an industrial belt. Hosur is a big industrial area, a corporation area. We are dependent on the Pennaiyar river for drinking water. It is seriously affecting our people. Therefore, it must be taken into consideration. In the same way, the Cauvery water which is coming to Tamil Nadu, is also polluted. All industrial effluents, sewage water, everything is coming to the Mettur Dam. Therefore, we are suffering because of lack of drinking water. Once, the Cauvery water used to be clean water. But now if we see the water, it is very dark. We are fighting for that. The four States are fighting over the Cauvery issue. We all are fighting only over the polluted water as we are not getting clean water. This is a very

serious matter and, therefore, I request the Government to take care of this. Madam, I am coming to the next issue.

With regard to the authorities and boards, especially, in Tamil Nadu, sometimes they are giving power to Tamil Nadu. Previously, it was the Central Government appointing the Board of Directors and taking decisions. You are a lawyer, you know it very well that after the Supreme Court judgement, it has gone once again to the State Governments. But the Minister is bringing some kind of a rule on their appointment. Whether the Central Government is interfering with the State Government in power, I do not know. This controversy must not be there because you know very well that recently, in Tamil Nadu, some problems arose in the water Boards and the Board's Chairman also faced a lot of problems. ...*(Time-Bell rings.)*... Madam, this is a drinking water problem. There are so many issues, but we are living without water. Without water, we cannot live. Without drinking water, how can we live? Therefore, I would like to know whether the State Governments have the full rights or the Central Government interferes in the appointments because Centre's representation is also there in the Pollution Control Board. They are having that. But some kind of a conflict is going on. There are a lot of pending cases and they are not disposing them at all.

Pollution Control Board is not taking any decision because of the controversy that is taking place. Because the industries are getting licenses, the institutions have to ensure that they set up plants. They were not doing that. Therefore, a lot of problems are being faced throughout the country, especially in Tamil Nadu. I know my part of area. Many colleges are running there. They are putting conditions. Nowadays, new conditions are coming. The State Government is giving another rule. We do not know how the...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Your time is over.

DR. M. THAMBIDURAI: I am saying that drinking water is a precious thing. Whatever provisions you are bringing, they may be good, but at the same time, we should also protect the human beings for whom you are supplying the water and see how can we get clean water for drinking purposes. As I mentioned about the Kelavarapalli Dam in Hosur area which is constructed on the Pannaiyar river, it is completely sewage water. ...*(Time-Bell rings.)*... Cauvery water also has the same problem. Karnataka people are demanding 18 TMC water for drinking purposes. They can take the drinking water from the Kannambadi dam and need not construct the Mekedatu

dam. That is another controversy that is going on. What is the purpose of constructing a new dam when they are able to...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Your time is over. ...(Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: We are taking water from Mettur dam for drinking purposes. In the same way, we have no objection for Karnataka taking drinking water for Bengaluru city- 18 TMC. The Supreme Court has already given the decision and we are abiding by that. But let them take it from the Krishnaraja Sagara, that is, Kannambadi Dam, instead of a new dam. That is our request. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Now Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

(Followed by DPS/3N)

DPS-AKG/3N/4.00

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (**Andhra Pradesh**): Thank you, Madam, for giving this opportunity. Madam, the instant Bill proposes to rationalizing criminal provisions and ensuring the citizens, business and the companies operate with fear of imprisonment for minor technical or procedural defaults. Also, the nature of penal consequences of an offence committed must be commensurate with the seriousness of the offences. This Bill seeks to establish a balance between severity of the offence and the gravity of the punishment provided in this regard. Madam, already the impact of climatic change is felt in each and every sphere of the environment. The instant Amendment Bill provides for the very mild punishments for certain offences consisted in the principal Act. If this is allowed, the water, one of the important aspects of the environment, will be polluted more. Prescribing mild punishment in the pretext of rationalizing criminal provisions will not deter the public, entrepreneurs and other business establishments. For example, in Andhra Pradesh, there is a Rushikonda, a hill area which is there as a tourist spot. The tourist place has been totally destroyed and demolished, causing environmental effected pollution. The matter has already been brought to the notice of the Central

Government also. After demolishing the said tourist place, the Government of Andhra Pradesh has invested Rs.600 crores for constructing a CM camp office. It is public money. Public are not allowed to visit the Rushikonda. They have caused a lot of environmental problems and they wanted to convert it to CM's complex. Apart from that, they are also causing damage to the entire developmental activities in Visakhapatnam. Likewise, with regard to the provisions of this Act, Section 45A of the principal Act, 'If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued, the penalty may be extended to Rs.15 lakhs, from Rs.10,000 to Rs.15 lakhs.' Coming to the adjudicating aspect, the Central Government for the purpose of determining the penalties, provision is there of appointing an officer not below the rank of Joint Secretary; that is an executive function. Though quasi-judicial functions were entrusted to the executing authority, the nature of disposal and nature of grievances are to be addressed by following the procedural aspect also. There is a clear cut violation which is going on and that we have been experiencing. The amount of penalties imposed under the provisions of Sections 41, 41A, 42 to 45 shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under Section 15, read with Section 17 of the National Green Tribunal. It is a

double punishment imposed on that. It is contrary to the provisions of the principal Act... ...(*Time-bell rings*)... Coming to another aspect, any person aggrieved by the order of the adjudicating officer under Section 49B may prefer an appeal to the National Green Tribunal under Section 3 of the National Green Tribunal Act. The National Green Tribunal is already overburdened with regard to the matters relating to the environmental factors pollution. Coming to this aspect, under this Act also, the appeals are preferred to the National Green Tribunal. It will then be overburdened. It is better to constitute a tribunal separately and take appropriate steps to dispose of the matters within a specified time. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. AMEE YAJNIK): Now, Shri Kailash Soni. You have five minutes.

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश) : माननीया उपसभाध्यक्ष जी, मैं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय भूपेन्द्र यादव जी का साधुवाद करना चाहता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ कि सामाजिक जीवन में बहुत लंबे समय से, 1974 के बाद विकसित भारत के रास्ते में कुछ अवरोध थे, उनको दूर करने के लिए और दूसरा, जल, जो पंच महाभूतों में से एक है, जो हमारे जीवन की अवधारणा को

बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए कानूनों में संशोधन की आवश्यकता थी। इसके लिए हम भूपेन्द्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

(3ओ/पीएसवी पर जारी)

PSV-DPK/3O/4.05

श्री कैलाश सोनी (**क्रमागत**) : लोकतंत्र में कानून ही प्राण है। लोकतंत्र पहलवानी का विषय नहीं है। लोकतंत्र में है कि जनता जो दर्द महसूस करे, उस पर सरकार जितनी जल्दी निर्णय करे और कानून बनाये, वह सफलतम और अच्छी सरकार है। इसलिए हिन्दुस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी स्थापित हुए हैं। पूरे सदन के ध्यान में होगा कि आजादी के बाद ऐसा इतिहास हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने स्थापित नहीं किया कि अंग्रेजों के इतने कानून निरसित किये गये और देश, काल तथा परिस्थिति के अनुरूप इतने नये कानून स्थापित किये गये। कानूनों के कारण सरकार की पहचान होती है। हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े समीक्षक, सी. राजगोपालाचारी जी, डा. राम मनोहर लोहिया जी और हमारे जो गाइड, गार्जियन और फिलॉस्फर हैं, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी - सबकी एक अपेक्षा रही है कि जनता के अनुरूप कानून हो।

यह कानून तीन लक्ष्यों को लेकर प्रस्तुत किया गया है। नम्बर एक, पानी की शुचिता, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसका उपयोग ठीक ढंग से हो; दूसरा, अपने पानी के कारण हमारे 'विकसित भारत' की कल्पना अवरुद्ध न हो, इसलिए विकास के रास्ते

में उसके भीतर के जो अवरोध हैं, वे इसमें साफ हो जाएँ; और नम्बर तीन - कानून की एकरूपता। इस कानून की विशेष बात यह है कि जून, 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हमारे लोगों के साथ-साथ हमारी वनस्पतियों और जीवों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली व्यापक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए पूरे देश में एक समान कानून बनाना उचित समझा गया और इसीलिए हमारे देश में 1974 में इस दिशा में हमारी भारतीय संसद ने यह कानून बनाया। इस अधिनियम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र बना। यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा जल की पूर्णता को बनाये रखने और बहाल करने लिए मुख्य कानूनों में से एक है। जल अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है और इन्हें इससे सम्बन्धित शक्तियाँ भी प्रधान करता है। चूँकि जल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रावधानित किया गया है, यह एक राज्य का विषय है, इसीलिए जल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अनुसरण में, अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों के सदनों द्वारा पारित किये गए प्रस्ताव के अनुरूप स्थापित किया गया।

इस अधिनियम द्वारा, इसका 1974 का जो अधिनियम है, इसमें जो विसंगति है, इसमें विभिन्न दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं। जैसे, धारा 20, 32, 33, 33ए के तहत जारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को 3 महीने तक की कैद

या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है तथा धारा 30 या 33ए का उल्लंघन करने पर एक अवधि के लिए कारावास से भी दंडित किया जा सकता है, ऐसी अवधि जो 1 वर्ष और 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(3पी/वीएनके पर जारी)

VNK-SSS/3P/4.10

श्री कैलाश सोनी (क्रमागत) : यदि यह विफलता जारी रहती है, तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो प्रत्येक दिन के लिए 5 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, इस तरह की पहली विफलता के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद यदि उल्लेखित विफलता दोष सिद्धी की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि से अधिक तक जारी रहती है, तो दोषी पाए जाने पर अपराधी को कारावास की सजा होगी, जो दो साल से कम नहीं होगी, लेकिन इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे देश में काम करने वाले, जल का उपयोग करने वाले उद्योगपतियों में एक भय का वातावरण बनेगा। इसको संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हुई और यह वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया गया। **...(समय की घंटी)...**

महोदया, मैं आखिर में इसके मूल उद्देश्य को बता कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसका मूल उद्देश्य है - छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को खत्म कर देना, व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम, प्रस्तावित दंड छोटे उल्लंघनों में अभियोजन के उत्पीड़न के बिना उल्लंघनों के खिलाफ एक निवारक भी साबित होगा।

यह प्रस्ताव सभी न्याय क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक समान बना देगा, ताकि उद्योगों को कई अलग-अलग अनुपालनों का पालन न करना पड़े। वायु अधिनियम के तहत कुछ उद्योगों को अनुपालन से छूट देने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के लिए एक सक्षम प्रावधान भी प्रस्तावित है।...(**समय की घंटी**)... इसके लिए यह संशोधन प्रस्तुत है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ कि सर्वानुमति से इसको पारित करने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (**डा. अमी याज्ञिक**) : धन्यवाद। डा. अशोक बाजपेयी जी। आपके पास पाँच मिनट का समय है।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) **:** माननीया उपसभाध्यक्ष जी, 1972 में human environment को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें यह तय हुआ कि वायु और जल प्रदूषण को लेकर चिंता की जाए। इसके चलते भारतीय संसद में 1974 में एक कानून पास किया गया। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कानून बनाया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि अलग-अलग राज्य.....

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

मान्यवर, जल संविधान की सातवीं अनुसूची में आता है, जो राज्य सरकारों का विषय होता है, इसलिए इसमें राज्य सरकारों के द्वारा इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई। इसके तहत विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य में पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल

बोर्ड की स्थापना की। लेकिन अलग-अलग राज्यों के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग-अलग नियमावली थी, अलग-अलग कार्यावली थी, इसलिए बार-बार ऐसा विचार किया गया कि कैसे इस देश में इसको लेकर एकरूपता लाई जा सके। 1974 के कानून में जो व्यवस्था थी, उसमें कुछ ऐसी कठोरता थी, जिसके चलते बहुत सारे उद्योगों को लगाने में काफी बड़ी जटिलता का सामना करना पड़ता था। इससे उद्यमी परेशान होकर उद्योग से विमुख हो जाया करते थे। उद्योग भी प्रभावित न हो और उसके साथ ही साथ उद्योग से जो अवशिष्ट निकलते हैं, उससे जल भी न प्रदूषित हो, इसमें इसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है, ताकि हमारे यहाँ इस कानून के चलते उद्योग भी प्रभावित न हो और इसमें कोई शिथिलता बरतने से ऐसा न हो कि जल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इन दोनों चीजों का समन्वय करते हुए यह कानून लाया गया है। यह संशोधन कोई बड़ा संशोधन नहीं हैं। हमने इसमें केवल दंड के प्रावधान का सरलीकरण किया है। इसके लिए जो दंड की व्यवस्था है, उसमें जो कारागार और कठोर श्रम की व्यवस्था थी, उसको कम करके जुर्माना लगाने की बात की गई है। वह जुर्माना भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही जाएगा, जो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए ही उपयोग में आ सकेगा। उद्यमियों से लिया गया जुर्माना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए ही सहायक होगा।

(3क्यू/डीएस-एनबीआर पर जारी)

NBR-DS/3Q/4.15

डा. अशोक बाजपेयी (क्रमागत) : मान्यवर, इसके साथ-साथ वायु प्रदूषण को भी रोकने वाली जो व्यवस्था थी, उसके चलते भी जिन उद्योगों से वायु प्रदूषण प्रभावित नहीं होता था, बल्कि वायु का वातावरण ही प्रभावित होता था, उनको लगाने की अनुमति भी होगी। साथ ही साथ, इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, उसके चेयरमैन के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए भारत सरकार द्वारा इस कानून के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं, उनके अनुरूप ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति जाएगी। साथ ही साथ, जिन लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, उनके लिए एक न्यायिक व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया होगी, एक जुडिशियल ऑर्डर होगा, जिसके तहत अगर कोई उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। लेकिन, कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसा कानून बने, जिससे पर्यावरण नियंत्रित रहे, पर्यावरण संरक्षित रहे और प्रदूषण की भी रोकथाम हो सके, साथ ही साथ हमारे विकास का जो पहिया है, वह भी न रुकने पाए। यह विकास और पर्यावरण, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने वाला कानून लाया गया है।

माननीय उपसभापति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के लाने के बाद हम पूरे देश में एकरूपता ला सकेंगे। अलग-अलग राज्यों के जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड थे, उन सबकी अलग-अलग व्यवस्था और नियमावली थी, लेकिन अब इस कानून के बनने के बाद सारे देश में कानून में एकरूपता आ सकेगी और साथ ही, जो केंद्रीय

कंट्रोल बोर्ड होगा, उसको कुछ अधिक अधिकार इसलिए होंगे, क्योंकि बहुत से उद्योगों को लगाने में अगर पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है और राज्य सरकारें अगर उनमें अनापत्ति नहीं दे रही हैं तो भी उन्हें लगाने का अधिकार केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे सकेगा। इसी तरीके से, वायु को प्रदूषित नहीं करने वाले उद्योगों को लगाने के लिए भी अगर राज्य सरकारें या राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन नहीं देता है तो केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके लिए अनुमति दे सकेगा। यह अधिकार केंद्र सरकार को होंगे, जिससे हमारे विकास की गति भी तेज रहेगी। कुल मिलाकर, भारत सरकार की प्रतिबद्धता इस बात के प्रति है कि वह लोगों को स्वच्छ जल दे सके। हर घर को शुद्ध जल मिल सके, आज जल की इस व्यवस्था को लेकर भारत सरकार बहुत अधिक चिंतित है। माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया गया है, वह अपने में अभूतपूर्व है। लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, मैं समझता हूँ कि इस कानून के आने से निश्चित रूप से उसको बल मिलेगा। ...(**समय की घंटी**)... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री उपसभापति : माननीय बाजपेयी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I have given my name.

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, I have also given my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All names have been called. ...*(Interruptions)*... एक मिनट। Please take your seats. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, नियम यह है कि बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले आप नाम भेजेंगे, लेकिन आप लास्ट में नाम भेजते हैं, तो फिर वह संभव नहीं है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब। ...(**व्यवधान**)...कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : माननीय उपसभापति महोदय, आज इस चर्चा में विभिन्न दलों के 9 वक्ताओं ने भाग लिया है और यह जो वाटर प्रिवेंशन बिल है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोगों ने संशय भी उठाया, जिसका मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर सदस्यों की यह भावना थी कि देश के विकास के लिए कुछ कानूनों के द्वारा जिस प्रकार से हम तकनीकी अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, उसको समाप्त करने का इस बिल में पूरा प्रयास किया गया है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्ष वाराणसी में देश की जनता के सामने जो 9 आग्रह रखे थे, उनमें से उन्होंने सबसे पहला आग्रह देश में जल के संरक्षण को लेकर हर नागरिक के जागरूक होने का किया था। यही कारण है कि जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए और पूरा देश 'अमृत उत्सव' मना रहा था, तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबके सामने 'अमृत सरोवर' की संकल्पना रखी।

(3आर/एमज़ैड पर जारी)

MZ-PB/4.20/3R

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : हम सब सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर के लिए कार्य किया और सरकार का जो टारगेट था, उस टारगेट को भी पूरा किया गया है। हम अपने देश में जल संरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए दुनिया भर में प्राकृतिक झीलों के संरक्षण के लिए जो रामसर साइट्स तय की जाती हैं, आज़ादी के 75 वर्ष होने पर भारत की 75 वॉटर बॉडीज़ को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, जो प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जल संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

महोदय, इतना ही नहीं, हमारी सरकार आने के बाद हमारे देश में जल मंत्रालय बना, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जल-जीवन मिशन आया और जल-जीवन मिशन को आगे बढ़ाते हुए दूर-दराज़ के गावों तक जिन लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, उनके लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता कराई गई। जल संचय के लिए catch the rain को लेकर 'जल शक्ति अभियान' चलाया गया। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' में हर खेत को पानी और हर बूंद की रक्षा के लिए विषय लिया गया। देश में भूमिगत जल के लिए 'अटल भू-जल योजना' और शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई के लिए 'The Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation', AMRUT Yojana के तहत शहरों में जल प्रबंधन के कार्य किए गए हैं। ये सब कार्य देश में जल के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे देश के वामपंथी विचारधारा के सदस्य डा. वी. शिवादासन बोल रहे थे, वे लोग भी अब गंगा की पवित्रता की चिंता कर रहे हैं, वे अब कुछ बदलने लग गए हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' के तहत रिवर की वॉटर क्वालिटी, performance of sewerage treatment plants, common effluent treatment plants आदि को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा काफी कार्य हुआ है। आपने जो संशय उठाए थे, उनको लेकर भी सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा समय-समय पर गाइडलाइंस इश्यु की गई हैं। मैं इस विषय की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जिस वॉटर एक्ट के अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, उसकी भूमिका के संबंध में जो विषय बिल के अतिरिक्त आए थे, उन विषयों को मैंने सामने रखा है, लेकिन जब जवाहर सरकार जी बोल रहे थे, तब उन्होंने एक विषय रखा था कि इन संशोधनों से प्रदूषण के खिलाफ हमारा जो संकल्प हैं, वह कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा। दूसरी तरफ जब हमारे टीडीपी के साथी रवींद्र कुमार जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से छोटे प्रावधान, जो तकनीकी अवरोध उतपन्न करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वॉटर एक्ट बना था, इसमें जो मामूली उल्लंघन थे, साधारण प्रकृति के उल्लंघन थे, वास्तव में जिससे मनुष्यों को कोई हानि या पर्यावरण को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता था, उसमें भी इस बिल के अंतर्गत कारावास के प्रावधान थे। हम इनको एक लम्बे समय तक लगातार चलाते रहे, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि अगर सेक्शन 20 में कोई जल निकासी है, या उसके निस्तारण के संबंध में अगर किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा, तो उसके ऊपर भी कारावास की सज़ा थी। सेक्शन 32, 33 और 33ए के अंतर्गत

जारी आदेशों का उल्लंघन, जो यद्यपि सामान्य प्रकृति के नहीं हैं, लेकिन न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं और वे बहुत समय लेते हैं, उसमें तुरंत दंड नहीं भोगना पड़ता, लोग कोर्ट में रहते हैं, तो इंडस्ट्री कोर्ट में ही घूमती रहती है और कोई समाधान भी नहीं निकलता है। कई बार जब decriminalization का बात आती है, तो दो विषय हैं।

(3S/DN पर जारी)

DN-SKC/3S/4.25

श्री भूपेन्द्र यादव(क्रमागत) : एक जानबूझकर गलत कार्य करना और एक अनजाने में गलत कार्य हो जाना। जो जानबूझकर गलत करते हैं, वे गलती भी करते रहते हैं और न्यायालय में जाकर प्रोटेकशन भी लेते हैं। हम जो प्रावधान लेकर आए हैं, उसके अंतर्गत हम कई बार कहते हैं कि 'देर है, अंधेर नहीं।' मेरा मानना है कि देर ही अपने आप में अंधेर होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो प्रस्तावित परिवर्तन लेकर आए हैं, उसमें उनको जुर्माना भरना पड़ेगा और गलती के दोहराव होने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा, इसलिए de-criminalization से, यह एक तरीके से सही तरीके पर चलने के लिए सरकार ने रास्ता प्रशस्त किया है। इससे अनावश्यक न्यायिक कार्रवाई भी हटेगी और लोग सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक विषय आया था। रवींद्र कुमार जी NGT के प्रावधान की बात कह रहे थे। कुछ सदस्यों ने यह भी बताया कि हमारे YSRCP के सुभाष चन्द्र जी कह रहे थे कि इस पर अलग से authority बननी चाहिए। हमने

Adjudicating Officer की व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जुर्माना लगाने का प्रावधान हो, तो उसको एक निष्पक्ष authority देनी चाहिए, जो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से दूर होकर सुगम तरीके से वह अपना पक्ष रख सके, अपने तथ्य रख सके, किसी पर अनावश्यक जुर्माना न हो। जो Adjudicating Authority है, उसकी अवधारणा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर adjudicating authority भी किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय करती है, तो निश्चित रूप से appellate authority होनी चाहिए और appellate authority के नाते हमने NGT को रखा है, इसलिए मेरा यह मानना है कि Adjudicating Authority के होने से कार्य में सुगमता और निष्पक्षता दोनों आएंगी।

सर, तंबी दुरै जी ने तमिलनाडु के विषय के बारे में बताया। वह दो राज्यों के जल प्रदूषण का मामला है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि खासकर सेक्शन 25 और 26 के लिए कि आपने पूरे तरीके से de-criminalize क्यों नहीं किया? अगर कोई consent to operate लिए बगैर अपनी इंड्स्ट्री को शुरू कर देगा, तो निश्चित रूप से वह सीधा-सीधा violation है। उसके लिए हमने इसको 25 और 26 में केवल प्रावधान कर छोड़ा है, ताकि कम से कम सरकारी प्रक्रिया है, उसको पूरे तरीके से आप जो भी धरती की जल की क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं, उसकी आप पूर्व अनुमित दो, ताकि comprehensive तरीके से इंडस्ट्री के विषयों पर विचार किया जाए। जहां तक इसमें राज्य प्रदूषण बोर्ड को गाइडलाइन देने का विषय है, हम सब जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में consent to operate के लिए अलग-अलग तरीके से प्रक्रिया

होती थी। एक इंडस्ट्री वाला एक राज्य में same के लिए consent to operate लेता था, दूसरे राज्य में अड़चन आती थी और इसकी सुगमता के लिए हमने केन्द्र सरकार को इस मामले में औद्योगिक संस्था स्थापित करने, संचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड के द्वारा अगर unnecessary delay होती है, अगर उसको consent to operate नहीं दी जाती है, तो इंकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों में दिशा-निर्देश बनाने के लिए अधिकृत किए हैं, ताकि देश के सभी राज्यों में उद्योगों का विकास समान तरीके से हो। केवल हरित या प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे कुछ श्रेणियों के उद्योगों का अधिनियम की धारा 25 के तहत संचालन से पूर्व सहमित प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देने का प्रावधान भी अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। ये सब कार्य बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे। हमारे देश में State Pollution Control Board में जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उसमें भी एक समकक्षता होनी चाहिए, एक transparency होनी चाहिए, एक eligibility का पैमाना आना चाहिए। केवल पोलिटिकल तरीके से नहीं होना चाहिए। हम जो आब्जेक्ट रखना चाहते हैं, उस आब्जेक्ट के अंतर्गत नियुक्ति होनी चाहिए। हमारे YSRCP के सुभाष जी ने एक प्रश्न उठाया था कि जो राशि हम इम्पोज के रूप में रखेंगे, इसका फंड कैसे बनेगा। मैं सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जुर्माने से आने वाली राशि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक पर्यावरण संरक्षण निधि में वह सारी राशि रखी जाएगी।

(3T/GS पर जारी)

HK-GS/3T/4.30

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : जिसका 75 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा और इस निधि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और इस एक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। इसके लिए भी हम एक रेगुलेशन बनाकर, transparent तरीके से लागू करेंगे। हम इसकी गाइडलाइंस बनाकर देंगे। इस विधेयक के पारित होने के बाद इसके नियमों को बनाया जाएगा और उसके अनुसार कारवाई करने का अधिकार दिया है, लेकिन जुर्माना लगाने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति के लिए भी हमने पूरे तरीके से एक नियमों की प्रक्रिया को बनाने की कार्रवाई की है।

माननीय उपसभापति महोदय, आज Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill की बात थी, लेकिन एक, दो सदस्यों ने देश में वायु प्रदूषण के बारे में भी अपने मंतव्य किए हैं और उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत देश में 131 सिटीज़ का हमने चुनाव किया है और लगातार हम उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार हमने ऐसा किया है कि जो काम कम कर रहे हैं उनको नहीं, बल्कि जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको एक healthy competition के नाते प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, ताकि सभी शहर अपने यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लीन एयर के लिए काम करें। जब जवाहर सरकार जी बात कर रहे थे, तो वे वॉटर पॉल्यूशन पर कम बोले और renewal energy पर ज्यादा बोले, इसलिए मुझे लगता है कि यह उसका सब्जेक्ट नहीं था। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि

पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने जो renewal energy की क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 के लिए तय किया था, उस लक्ष्य को भारत ने 2021 में ही 9 साल पहले माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सच है कि यह जो पूरा हमारा नेचर है, हम कहते हैं कि दुनिया में पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको सबसे ज्यादा कोई इंपैक्ट कर रहा है, तो वह ह्यूमेन बीइंग के द्वारा ही हो रहा है। पृथ्वी का भी टेंपरेचर बढ़ रहा है, जल का भी पॉल्यूशन हो रहा है, एयर का भी हो रहा है, लेकिन इन सबके लिए हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यह मानना है कि पर्यावरण और विकास, ये दोनों एक दूसरे के सहारे एक साथ चलने वाले विषय हैं। हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होना चाहिए और विकास को भी सुगमता होनी चाहिए। विकास की सुगमता से ही देश में गरीबी को दूर किया जा सकेगा और सबको समान रूप से और एक अच्छे तरीके से सम्मान पूर्वक, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा और यह तभी संभव है जब विकास की सुगमता का पहिया हर एक के घर तक पहुंचे, इसलिए हमारे कानूनों में ease of living, ease of doing business के लिए इतनी सुगमता होनी चाहिए कि गलत काम करने वाले पर जुर्माना हो, अनावश्यक कारावास का दंड न हो, नियुक्तियों के संबंध में योग्यता को स्थान दिया जाए, पैसों को खर्च करने में ट्रांसपेरेंसी हो, राज्यों को 75 प्रतिशत हिस्सा देकर, उनको जल संचय के कार्यक्रमों से जोड़ा जाए और whole of the Government approach को लेकर जल संरक्षण के अलग-अलग कार्य को विभिन्न मंत्रालयों में संयोजित करके जल ही जीवन

है, जल को सुरक्षित रखें और अपनी धरती को हरा-भरा और वसुंधरा को ऊर्जावान बनाकर अमृत काल के भारत का निर्माण प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में करें, इसी लक्ष्य के साथ इस बिल को लाया गया हैं। मैं सब सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल को अपना समर्थन दें।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

The Preamble, the Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

(Followed by KSK/3U)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Bhupender Yadav to move that the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.